an>

Title: Discussion on the Sustainable Development Goals (Discussion not concluded).

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we take up discussion under Rule 193 on Sustainable Development Goals. Shri Ramesh Pokhriyal Nishank to start the discussion.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम 193 के अन्तर्गत आपने सतत विकास लक्ष्य की चर्चा शुरू करने का मुझे सौभाग्य दिया है, मैं आपका आभारी हूं।

जैसे कि आप विदित ही हैं कि सितम्बर, 2000 में न्यूयार्क में पूरी दुनिया के 189 देशों ने मिलकर संकल्प लिया था कि वर्ष 2015 तक गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, अशिक्षा, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के अभिशाप से दुनिया को मुक्ति दिलानी है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर के महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य सुधार, एच.आई.वी., एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का हमको मुकाबला करना है।

इसके साथ ही, पर्यावरणीय क्षेत्र में सततता निश्चित करते हुए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सतत पहुंच को आम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मलिन बस्तियों में सुधार करना है और विकास के लिए विश्व की सहभागिता का संकल्प लिया गया था। वर्ष 1990-2000 से लेकर अब तक इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए दुनिया के देशों को अपनी नीति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि वे ऐसी नीतियों का निर्धारण करें कि इन लक्ष्यों को वे वर्ष 2015 तक पूरा करें। भारत भी इन लक्ष्यों की पूर्ति में लगातार प्रगति के पथ पर स्फूर्त भूमिका निभा रहा है।

उपाध्यक्ष जी, गरीबी उन्मूलन, लिंग समानता, एच.आई.वी. नियंत्रण, मलेरिया पर नियंत्रण, प्राथमिक व उच्च शिक्षा जैसे बहुत सारे विषयों में भारत ने तो प्रगति की है, लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट आयी है, उसमें यह कहा गया कि भारत को बहुत गंभीरता से स्वच्छता और खुले में शौच के क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा। कुपोषण, महिला शिक्षा, रोज़गार की उपलब्धता पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें मातृ मृत्यु-दर और शिशु मृत्यु-दर को कम करना है, क्योंकि जिस गति से जिस लक्ष्य की प्राप्ति की अपेक्षा की जा रही थी, उस गति से भारत अभी उस प्रगति को हासिल नहीं कर सका है। साथ ही, इस रिपोर्ट में यह भी चिंता व्यक्त की गयी कि महिलाओं की राजनीति में जो सहभागिता है, विशेषकर लोक सभा में, जो भारत का निम्न सदन है, उसमें उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत बहुत कम है। उसे बढ़ाया जाना चाहिए।

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, अगर गरीबी और भुखमरी के संबंध में उस समय यह कहा गया था कि उस समय गरीबी का जितना प्रतिशत है, उसमें 50औ तक कमी हम वर्ष 2015 तक कर देंगे। वर्ष 1990 में यह 47.8औ था। वर्ष 2011-12 में यह 21.92औ तक आया। वर्तमान में यह 20.74औ है और इसे 18.6औ लाना था। मुझे लगता है कि जिस गति से इसमें कमी होनी थी, उस गति से यह नहीं हो रही है। हमें इस दिशा में काफी काम करने की जरूरत है। भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या आधी करने का लक्ष्य था। वर्ष 1990 में यह 52औ था। वर्ष 2005-06 में यह 40औ तक आया। वर्ष 2015 में इसे 26औ होना था, लेकिन अभी भी यह 33औ है। यह देश के अन्दर एक बहुत ही गंभीर विषय है कि यदि आज भी इस देश में, जो प्रगति की दौड़ में है, उसमें भुखमरी के कगार पर 33औ लोग हों, तो निश्चित रूप से यह एक गंभीर विषय है और यह चिंता का विषय है। केन्द्र की सरकार को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसे दूर करना होगा। पूरी दुनिया में जो अति गरीब लोग हैं, उनका 32.9औ लोग अकेले भारत में रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से भारत के कई राज्य हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, ओडीशा जैसे तमाम राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में एक अभियान चलाकर इस काम को करना होगा।

महोदय, इस देश की प्रगति के लिए और इस देश में व्याप्त गरीबी और भुखमरी की स्थिति में मुझे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था -

स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है,

एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है।

एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो,

जिसकी आंखों में चमकती एक नया उल्लास हो,

हो जहां सम्मान हर एक जाति-धर्म का,

सब समर्पित हो जहां एक लक्ष्य उसके पास हो,

एक नया अभियान अपने देश के जन-जन में हो,

एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है।

श्रीमन्, अटल जी की कितनी छटपटाहट थी कि उन्होंने कहा, आज हम सारे विश्व में प्रगति की दौड में बहुत आगे हैं। उन्होंने तभी कहा था, " बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से, कर रहा हमको नमन यह विश्व अभी उस पार से, पर अधूरी है विजय जब तक गरीबी है यहाँ, मुक्त करना है हमें अब देश को इस भार से। " उनकी जो चिन्ता, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो चिन्ता है, वह चिन्ता आज भी बरकरार है। इसलिए एक नया संकल्प सा अब तो यहाँ जीवन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और निश्चित रूप में यह सतत विकास का जो हमारा लक्ष्य है, इससे देश में एक नए युग का निर्माण होगा, नए युग का सूत्रपात होगा। उसी सूत्रपात की दिशा में जिस तरीके से वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चारों दिशाओं में, चाहे भुखमरी को दूर करने की बात हो, बेरोजगारी को दूर करना हो, तमाम क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। उस दिशा में चाहे जन-धन योजना में गरीबी और भुखमरी से लोगों को उठाने के उस अभियान में जन-धन जैसी योजना जिसमें गरीब की जेब में, जिसकी जेब में एक पैसा भी न हो, वह भी अपना खाता खोलता है और खाता ही नहीं खोलता, बल्कि उसको सुविधाएं मिलती हैं। उसको 30 हजार रूपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है और दुर्घटना पर एक लाख रूपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। इतना ही नहीं बहुत सारी योजनाएं उसके साथ जुड़ती हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित गरीबी को दूर करने का जो अभियान है, मनरेगा में भी हमारी सरकार ने श्रीमन् पाँच हजार करोड़ इस समय अतिरिक्त बढ़ाया है। खाद्य में सब्सिडी दी है और इतना ही नहीं, मुद्रा बैंक, माननीय वित्त मंत्री जी जिसकी चर्चा कर रहे थे कि मुद्रा बैंक की स्थापना की है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे बड़े अभियान जो बेरोजगारी को न केवल दूर करेंगे, बल्कि इस देश को उसके शिखर तक पहुँचाने के मुकाम तक ले जाएंगे और बेरोजगारी दूर करने के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगें। जीएसटी भी जो इसका हिस्सा है, जो आर्थिक क्रांति करेगा, आर्थिक समृद्धता लाएगा और आम व्यक्ति को उसके कदमों पर खड़ा करने के लिए हौसला देगा।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जिसमें एक हजार पांच सौ करोड़ रूपए का प्रावधान है। जो छात्र उच्च शिक्षा से वंचित होते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम योजना के तहत छात्रवृत्तीय सहायता प्राधिकरण जैसी जो स्थापना की है, मैं सोचता हूं कि वह गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में सरकार का बहुत अहम कदम है। इसको हम सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में एक मील का पत्थर कह सकते हैं।

श्रीमन्, जो दूसरा लक्ष्य था, वह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का था। वर्ष 1990 में प्राथमिक शिक्षा का जो नामांकन था, वह केवल 77 प्रतिशत था। इसका लक्ष्य वर्ष 2015 में शत-प्रतिशत करने का था। अभी हम लगभग 88.08 प्रतिशत पर हैं। यह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें भी जो आंकड़े हैं, वे समन्वित आंकड़े नहीं हैं। इसलिए इस दिशा में जहां महिला और समाज, अशक्त व्यक्ति पीछे हैं, वर्ष 2000 में विश्व में 83 प्रतिशत दाखिले का प्रतिशत था और अब पूरे विश्व के परिवेश में देखेंगे तो यह 91 प्रतिशत है। वर्ष 2000 में सौ करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ जाते थे और श्रीमन् आज भी 57 करोड़ बच्चे स्कूलों को छोड रहे हैं। भारत भी इसमें बहुत बड़े स्थान पर है। इस प्रतिशत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह बात सही है कि आबादी जिस गति से बढ़ रही है, उसी गति से इस योजना को भी आगे बढ़ाने की जरूरत होगी।

श्रीमन्, जो बच्चे पांचवीं कक्षा तक स्कूल जाते हैं और स्कूल छोड़ जाते हैं, उनका भी यदि आंकड़ा देखेंगे तो वर्ष 2011-12 में यह 86.05 प्रतिशत था। आज इस लक्ष्य को शतप्रतिशत पूरा होना था लेकिन हम इसमें काफी पीछे हैं। ऐसे ही हम साक्षरता में भी काफी पीछे हैं। वर्ष 1990 में 15 से 24 वर्ष तक के नागरिकों की साक्षरता 61 प्रतिशत थी और वर्ष 2011 में यह 86 प्रतिशत हो गयी। लेकिन इसको शतप्रतिशत पूरा करना है जिसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा तो समाज, परिवार और राष्ट्र की रीढ़ होती है। शिक्षा से वंचित समाज, परिवार और राष्ट्र निश्चित रूप में कहीं भी चौराहे पर खड़ा रहता है, इसलिए यह उसकी रीढ़ की हड्डी है।

श्रीमन्, जहां तक स्त्री-पुरुष को समानता देने का विषय था और महिलाओं को सशक्त और शक्ति प्रदान करने का विषय है, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाये तो देश ने प्राथमिक शिक्षा में प्रगति की है। पहले 100 लड़कों पर 73 लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती थीं, आज इस दिशा में भारत ने प्रगति की है। अब उसने बराबर और समानता का रूप लिया है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा के प्रतिशत में काफी अंतर है और हम उच्च शिक्षा में बहुत अंतर पाते है। 100 विद्यार्थियों में से 54 बालिकायें उच्च शिक्षा ग्रहण करती थीं लेकिन वर्तमान में 100 विद्यार्थियों में से 89 बालिकायें ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इसमें भी बहुत अंतर है, इसे भी पाटने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह तकनीकी क्षेत्र हो, रोजगारपरक शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा को और ज्यादा सुदृढ़ करने की जरूरत है। मैं विवेकानंद छात्रवृति के लिए माननीय मंत्री जी, जो यहां पर बैठी हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। विवेकानंद छात्रवृति एक बालिका संतान के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तक संपूर्ण किया है। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में सरकार ने कई योजनायें शुरू की है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों की साक्षरता के अनुपात में कम है। वर्ष 1991 में 15 से 24 वर्ष की महिलाओं की साक्षरता 67 प्रतिशत थी, 100 लड़कों में 67 लड़कियां थीं, जबकि लक्ष्य बराबर का होना चाहिए। अभी यह बराबर का नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें 100 और 90 का अंतर है। इस दिशा में भी निश्चित रूप से स्त्री-पुरुष समानता के रूप में इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है।

वैसे भी हमारे देश ने महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है। हमने हमेशा कहा है कि "यत् नार्यास्तु पूजयन्ते, तत् रमन्ते देवता। " जहां भी नारी का सम्मान होता है, जहां भी नारी को इज्जत से देखा जाता है, उस परिवार, समाज और राष्ट्र में ही देवत्व का वास होता है। हमेशा से हमारी यह धारणा रही है।

गैर-कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रतिशत कम है। जहां वर्ष 1990 में यह 12.7 प्रतिशत था, वह वर्ष 2011-12 में बढ़कर 19.03 प्रतिशत तो हुआ है लेकिन लक्ष्य 50 प्रतिशत से भी अधिक का था। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, वर्ष 2015 के पूरा होने पर हम इस क्षेत्र में 22-23 प्रतिशत पर ही रह पायेंगे। हमारे सामने पहली चुनौती उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की है और फिर सतत् विकास की दिशा में उसमें स्थिरता ला कर उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं महिलाओं की राजनीति में सहभागिता के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, वह आप सभी को मालूम है। सतत् विकास का जो लक्ष्य है उसमें महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में उनकी राजनैतिक सहभागिता उसी अनुपात में हो, यह भी बहुत जरूरी है।

श्रीमन्, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वह महिलाओं और बालिकाओं को समृद्ध करने की दिशा में जो 'सुकन्या समृद्धि योजना' चलायी गयी है, हमारी मंत्री जी यहां पर बैठी हुयी हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 22 जनवरी 2015 को 'सुकन्या समृद्धि योजना' का शुभारंभ किया है और लड़कियों की शिक्षा और उनके विवाह के लिए जरूरतों को पूरा करने के लिए 'अल्प बचत योजना' भी बनायी है। इतना ही नहीं, माता-पिता का दस वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं के नाम से खाता भी खुलवाया है। इस समय मेरी जानकारी है कि उसमें बीस लाख से भी अधिक बालिकाओं ने सहभागिता खाते खुलवाए हैं। जमा राशियां एक हजार रुपये से एक लाख पचास हजार रुपये तक प्रति वर्ष के बीच हो सकने की संभावना है। मैं सोचता हूं कि बेटियां हमारी थाती हैं, बेटियां हमारी धरोहर हैं। जैसे मैंने कहा, नारी का सम्मान हिन्दुस्तान की संस्कृति में सर्वोच्च रहा है।

मुझे किसी ने एक छोटी सी कविता भेजी है जो मुझे अच्छी लगी। मैं उस कविता को इस सदन के साथ बांटना चाहता हूं। 'बेटियां' नाम से एक छोटी सी कविता है -

बोए जाते हैं बेटे पर उग आती हैं बेटियां

खाद-पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां

मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां

रुलाते हैं जब खूब बेटे तो हंसाती हैं बेटियां

नाम करे न करे बेटे पर नाम कमाती हैं बेटियां

जब दर्द देते हैं बेटे तो मरहम लगाती हैं बेटियां

जब छोड़ जाते हैं बेटे तो काम आती हैं बेटियां

आशा रहती है बेटों से पर पूरा करती हैं बेटियां

हजारों फरमाइश से भरे हैं बेटे पर समय की नज़ाकत को समझती हैं बेटियां

बेटे को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर-घूरकर देखे

किन्तु बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि उसे घूरने से पहले सबकी नजर झुक जाए।

जिससे अंधेरा मिटे और हर परिवार नया जीवन पाए।

महोदय, इस कविता की आखिरी पंक्ति मैंने बनाई है। बेटियां निश्चित रूप में हमारे समाज की धरोहर हैं। इन बेटियों को जितना सजाया जाए, बढ़ाया जाए, यह हमारे समाज, राष्ट्र, परिवार की निधि हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि पूरी ताकत के साथ, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि बेटियों का जो प्रतिशत घट रहा है, वह हर क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो। बालिका मृत्यु दर ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर में भी बालिका मृत्यु दर ज्यादा है। बालिकाओं की मृत्यु दर कैसे कम हो सकती है, खत्म हो सकती है, इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। हमारा शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य भी सतत विकास के लक्ष्यों में था। आंकड़े बताते हैं

कि 1990 से 2015 तक पांच वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे की मृत्यु को हमें 2/3 की कमी में लाना था। वर्तमान में स्थिति यह है कि प्रति हजार में जहां पांच वर्ष से कम आयु के 126 में से 100 बच्चों की मृत्यु हो रही थी, उसे हमें तेजी से नीचे लाना था, लेकिन अभी भी जन्म लेने के तुरंत बाद प्रति हजार पर 80 बच्चों की मृत्यु हो रही है जबकि हमने चाहा था कि शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना है। 2015 तक जो स्थिति चल रही है, उसमें एक हजार पर 27 तक ही हम इस लक्ष्य को ला पाएंगे। इस दिशा में भी सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। आज भी एक हजार में से 40 बच्चे मर रहे हैं। यह गंभीर विषय है। शिशु मृत्यु दर पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

खसरा का टीकाकरण 42.2 प्रतिशत था जबकि उसे शत-प्रतिशत होना चाहिए। यह अभी भी 74.1 प्रतिशत है। मुझे लगता है कि यदि हम इस गति से कोशिश भी करें जिस गति से 2000 से 2015 तक पहुंचे हैं तो मुश्किल से 89 प्रतिशत तक ही जा पाएंगे। कुपोषण से जो मृत्यु हो रही है, कुपोषण केवल बच्चे का नहीं है, मां का भी कुपोषण है। अधिकांश बच्चे मां के पेट में ही मर जाते हैं। यदि बच्चे जन्म भी लेते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षा न मिलने के कारण अधिकांश बच्चे दम तोड़ देते हैं। यदि वे बच भी गए तो तीन से पांच वर्ष की आयु में अधिकांश बच्चे दम तोड़ देते हैं। इसलिए भारत के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का मुकाबला हमें करना पड़ेगा। मातृ मृत्यु दर 1990 में एक लाख पर 437 थी, वर्ष 2011-12 में 167 हुई, 2015 तक इसे काफी नीचे आ जाना चाहिए था। अभी तक यह 140 पर है, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम अभी भी मातृ मृत्यु दर को कम नहीं कर पाए हैं। कुपोषण और स्वास्थ्य की असुरक्षा के कारण से ऐसा हुआ है। इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ें, सरकार ने इस दिशा में कोशिश की है। मैं उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं इसलिए भारत सरकार की योजना से परिचित हूं। संस्थागत प्रसव पर भारत सरकार का पूरा ध्यान केन्द्रित है लेकिन गोवा, केरल, तमिलनाडु, राज्यों में यह प्रतिशत 90 है। मैं पहाड़ से आता हूं, पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं वहां और भी विषमता है। हिमालयी राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरूणाचल, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही विषम हैं, जहां दूर-दूर तक चिकित्सालय नजर नहीं आते हैं, उनके लिए

काफी कठिनाई है। क्या सरकार उस क्षेत्र के लिए अलग से योजना बना सकती है। हिमालयी बेल्ट के लिए अलग से कोई योजना बननी चाहिए। हम लोगों ने उत्तराखंड में आपातकालीन सेवा 108 शुरू की थी, आपातकालीन सेवा की गाड़ी कुछ मिनटों और सेंकडों में पहुंचती थी। साढ़े तीन लाख से भी अधिक माँ और बहनों का प्रसव के समय जान बचाई गई थी। हजारों प्रसव चलती हुई एम्बुलेंस में हुए। मेरी मां और बहनें बहुत कठिनाई में हैं। आज इस बात की जरूरत है कि उनके लिए एक अलग से अभियान चलाया जाए जिससे उनका जीवन बच सके। जहां तक शुद्ध पेयजल के लक्ष्य का सवाल है देश में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के आंकड़े को हम देखें तो यह चौंकाने वाले हैं, जो गंभीर और चिंताजनक हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़े हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 88.5 घरों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है जबकि शहरी क्षेत्र में 95.8 प्रतिशत लोगों को पेयजल मिल रहा है। लेकिन इसमें गुणवत्ता को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 21 प्रतिशत संक्रामक रोग गन्दे पानी के कारण होते हैं। अशुद्ध पेयजल से प्रतिदिन मौतें होती हैं, पेचिस और दस्त के कारण भारत में 1006 मौतें प्रतिदिन हो रही है, यह बहुत गंभीर विषय है। यदि इसे वर्ष में गणना करें तो प्रतिवर्ष 6 लाख लोगों की मौत गंदे पानी की वजह से होती है। इस चुनौती का मुकाबला करना पड़ेगा, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में 88 लोगों को शत-प्रतिशत पानी नहीं मिल रहा है। यदि मैं उत्तराखंड जैसी राज्य की बात करूं जहां भूस्खलन आता है, तमाम स्रोत बह जाते हैं, भूकंप आता है, बाढ़ में बहुत सारी योजनाएं बह जाती हैं, नित्य नए आंकड़े सामने आते हैं, पेयजल का बहुत बड़ा संकट है। कुछ स्थानों पर पानी का स्रोत सूख जाता है। वर्तमान में पर्यावरणीय स्थिति के कारण लगातार पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं। ऐसे में नल से पानी सप्लाई की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसलिए जो विश्व बैंक की रिपोर्ट है, जल आपूर्ति और स्वच्छता परिषद ने यह कहा है कि स्वच्छता के अभाव में प्रति 20 सैकिंड में दुनिया में एक शिशु की मृत्यु होती है। हम स्वच्छता पर ध्यान देकर 15 लाख शिशुओं को मौत के मुंह से बचा सकते हैं। ये 15 लाख बच्चे सिर्फ मौत के मुंह में इसलिए जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

मैं समझता हूं कि देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इस प्रगति के क्षेत्र में बढ़ने वाले देश को इस दिशा में सोचना चाहिए। यूनीसेफ के अनुसार प्रति व्यक्ति को 20 से 50 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन आज हम उसे छू भी नहीं पा रहे हैं। हम उसे बहुत दूर तक पकड़ भी नहीं पाये हैं। इसलिए पूरे देश में यदि हमने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है और जो सहस्राब्दी लक्ष्य हमें 2015 तक प्राप्त करने थे, अभी तक हम उन आंकडों को हासिल नहीं कर पाये। उन आंकडों को हासिल करने के बाद उस पर स्थित तरीके से आगे कैसे बढ़ना है, यह भी हमारे सामने चुनौती है।

श्रीमन्, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आयी, उसमें ज्यादा गंभीरता से यह भी कहा गया कि हिन्दुस्तान को अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। हालांकि हमारे उन लक्ष्यों में यह भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। यदि हम बुनियादी स्वच्छता देखें, तो उन्होंने बीबीसी के रजिस्ट्रार जनरल एक जनसंख्यक कमिश्नर श्री सी. चन्द्रमोली के हवाले से कहा है कि वर्ष 2000 की जनसंख्या के आधार पर बताया गया कि खुले में शौच आज देश के लिए गंभीर समस्या है और हमारी आधी आबादी खुले में शौच के लिए जा रही है।

श्रीमन्, आश्चर्यजनक विषय यह है कि आज 49.8 प्रतिशत लोगों के पास शौचालय नहीं है, जबकि 63.2 लोगों के पास टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। मुझे लगता है कि यह जो सामाजिक, आर्थिक विषमता है, यह इसका एक जीता-जागता प्रमाण है। इसलिए इन बातों से ये आंकडें इस बात को भी परिलक्षित करते हैं कि हमें सामाजिक और आर्थिक, दोनों विषमताओं को दूर करना पड़ेगा। जब तक हम सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

श्रीमन्, यदि देखा जाये तो इस रिपोर्ट में राज्यों का भी विवरण है। उसमें झारखंड में 77 प्रतिशत, ओडिशा में 76 प्रतिशत और बिहार में 75.8 प्रतिशत लोग आज भी खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। ये सभी बड़े राज्य हैं। मैं बहुत सारे राज्यों के बारे में यहां विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आज भी कमोबेश स्थिति अच्छी नहीं है। यूनीसेफ इंडिया ने कहां कि दुनिया के विकासशील देशों में स्थिति अच्छी है। जैसे हम ब्राजील और बंगलादेश में देखेंगे, तो वहां 7 प्रतिशत लोग ही खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। चीन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है, लेकिन वहां केवल 4 प्रतिशत लोग ही खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। चीन जैसे देश में केवल 4 प्रतिशत लोग ही खुले में शौच के लिए जा रहे हैं, तो हमारी जनसंख्या का 49 परसेंट हिस्सा खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। इसलिए इस दिशा में गंभीर प्रयास की जरूरत है।

श्रीमन्, मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने 2 अक्तूबर, 2014 को राजघाट से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, वह इस दिशा में एक नींव का पत्थर साबित होगा। इसने एक क्रांति मचायी है। इस अभियान में अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, कमल हासन, सलमान खान, अनिल अंबानी, शशि थरूर, कपिल शर्मा और रितिक रोशन सहित बहुत सारे लोगों को ब्रांड ऐम्बेस्डर बनाया है और उस रूप में नियुक्त करके पूरे देश में एक नये तरीके से काम करने का नया अवसर दिया है।

श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि वर्ष 2019 तक खुले में शौच से भारत को पूर्णतया मुक्त करने का हमारे प्रधान मंत्री जी का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में टीम इंडिया बनायी गयी है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी जी ने टीम इंडिया बनाई है। इसमें मंत्रिमंडल तो जुटा ही है लेकिन टीम इंडिया भी जुटी है। इसमें मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण, अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और समाज के सभी वर्गों के लोग हैं। अगले पांच वर्षों में 12 करोड़ नए शौचालय बनाने का लक्ष्य है जिसमें 1.96 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग दो लाख करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है। हम इस मिशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालय निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसके कारण पहली बार इतने बड़े स्तर पर औद्योगिक, सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के तहत काम हो रहा है। यह औद्योगिक क्षेत्र के लोगों का सामाजिक दायित्व भी है। तब भी वे लोग काम करना चाहते होंगे, ऐसा नहीं है कि पहले करना नहीं चाहते थे लेकिन अब पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सहभागिता का समन्वय किया है जिसमें लाखों शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।

मैं एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। मानव संसाधान विकास मंत्रालय ने दो लाख से अधिक शौचालय सहभागिता से बनाए हैं। देश के औद्योगिक घरानों से 1100 करोड़ रुपए शौचालय बनाने की सहमति प्राप्त हुई है। यह इतना बड़ा काम है जो पूरे विश्व में पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है। यह काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हुआ है और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। चाहे कोयला मंत्रालय हो या ऊर्जा मंत्रालय हो, विभिन्न मंत्रालयों ने इस दिशा में अभियान के तहत काम करना शुरु किया है। मैं समझता हूं कि चाहे 'स्वच्छ भारत' का अभियान हो, चाहे 'स्वस्थ भारत' का अभियान हो, 'समृद्ध भारत' का अभियान हो या 'श्रेष्ठ भारत' का अभियान हो, माननीय मोदी जी का 'श्रेष्ठ भारत' अभियान निश्चित रूप से सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करके ऊंचाइयों को स्पर्श करने की दिशा में बढ़ेगा और पूरा विश्व भारत की ओर नजर लगाए हुए है।

इसमें पर्यावरण संरक्षण की चिंता की गई है। न्यूयार्क में वर्ष 2000 में जब सम्मेलन हुआ था तब यह कहा गया था कि पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तो देश भी सुरक्षित नहीं होगा, दुनिया सुरक्षित नहीं होगी, आदमी सुरक्षित नहीं होगा, जानवर भी सुरक्षित नहीं होगा, यानी कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। यदि मैं मोटे तौर पर आपको आंकड़े दूं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत के 3119 शहरों में से मात्र 209 शहरों के पास सीवरेज है। केवल इतने शहरों में सीवरेज है और वह भी आधा-अधूरा है। यदि 3110 बड़े शहर हैं लेकिन व्यवस्थित सीवरेज केवल 209 शहरों के पास है। यह बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि जिनमें है, वहां भी पूरे सही तरीके से सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। 2012 के वैश्विक पर्यावरण सुचांक में भारत 155वें स्थान पर है। यह भी बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि हमारा देश जो पर्यावरण के प्रति काफी सचग रहता है, 155वें स्थान पर है और हम वायु मंडल की गुणवत्ता के क्षेत्र में समूचे विश्व में 174वें स्थान पर हैं। हम काफी पीछे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में हमारा जो रिकार्ड है, वह और भी ज्यादा खराब है। यह अप्रैल 2015 में 405 पीपीएम को पार कर गया जबकि 350 पीपीएम से ऊपर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। इसमें और भी खराब स्थिति है।

इसी तरह से जल स्वच्छता के मामले में जैसे मैंने कहा कि जो गुणवत्ता वाले देश हैं, उसमें हमारा स्थान 124 है। हम पर्यावरण में जल संसाधन प्रदूषण के मामले में विश्व के 87वें स्थान पर हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में हमें बहुत काम करने की जरूरत है, यहां भी हम लड़खड़ा रहे हैं। हम इस क्षेत्र में तेजी से जल विविधता के संरक्षण में 125वें स्थान पर हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा स्थान सारे विश्व में 127वें पर है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में हम विश्व में तीसरे नम्बर पर हैं।

18.00 hrs.

ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि इस देश में पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यदि गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में और कठिनाइयां बढ़ने वाली हैं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Ramesh Pokhriyal, you can continue next time.

18.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Thursday, August 6, 2015/Shravana 15, 1937 (Saka).

---

* ण्ड्ढ म्न्ड्ढ अ ड्ढद्धत्ड्ढड्ड ड्डद्दध्ड्ढ ण्ड्ढ दड्ढर्ड्ढ द्द ड्ढ ग्ड्ढथ्र्ड्डड्ढद्ध त्दड्डत्ड्ढय्ड्ढद्य ण्ड्ढद्य ण्ड्ढ द्वड्ढद्य्त्द्द ड्ढद्य ड्ढय्द्वड्ढथ्न्र् ड्ढत्ड्ढड्ड द्द ण्ड्ढ ढथ्द्दद्ध द्द ण्ड्ढ Hद्दद्वम्ड्ढ ड्ढ्र ण्ड्ढद्य ग्ड्ढथ्र्ड्डड्ढद्ध.

@ छदय्ड्ढद्धद्धड्ढड्ड द्दद्वड्ढद्य्त्द्द ग्द्दद्य. 2538, 2561, 2564, 2582, 2594, 2595, 2638, 2645, 2670, 2682, 2719, 2727, 2738, 2745, 2757 ड्ढदड्ड 2760 ड्ढद्धड्ढ ड्डड्ढथ्ड्ढय्ड्ढड्ड ड्डदवड्ढ द्य्द्द म्द्वम्द्रड्ढदम्त्द्द द्द ग्ड्ढथ्र्ड्डड्ढद्धद्य छदड्डड्ढद्ध ड्डद्वथ्ड्ढ 374ए ड्ढदड्ड ड्ढद्य द्धड्ढहद्दद्धड्डड्ढड्ड त्ड्डड्ढ व्द्वथ्ड्ढय्त्द घ्ड्ढद्धद्य-ख्र् ड्डड्ढय्ड्ढड्ड 5द्य्ण् एद्वद्र्वद्य्, 2015.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढहद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढहद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढहद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* ग्द्दद्य् द्धड्ढहद्दद्धड्डड्ढड्ड.

* Eदथ्त्द्मर्ण् य्द्धड्ढदथ्ड्ढय्त्द्द द्द ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् द्दद्धश्त्दड्ढथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द ड्ढत्र्थ्